

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	अग्रहायण 13, गुरुवार, शके 1947- दिसम्बर 04, 2025 Agrahayana 13, Thursday, Saka 1947- December 04, 2025	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

संशोधित अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 31, 2025

संख्या प.9(96)राज-1/2025-28318:-राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या--15) की धारा 16 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत जिला कलक्टर, बाड़मेर एवं राजस्व मण्डल अजमेर से प्राप्त प्रस्तावधनुंशंषा के अनुरूप राज्य सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि बाड़मेर जिले की तहसील बाटाडू, धोरीमन्ना, नोखड़ा, एवं शिव के राजस्व ग्रामों के खसरो के मध्य परस्पर रकबा संशोधन निम्नानुसार किया जाता है :-

क्र. सं.	जिला / तहसील	ग्राम पंचायत / पटवार मण्डल	राजस्व ग्राम का नाम	ग्राम का वर्तमान विवरण		ग्राम का संशोधन पश्चात विवरण		क्षेत्रफल (है० में) कमी / वृद्धि	जन संख्या कमी / वृद्धि
				जन संख्या 2011	क्षेत्रफल (है. में)	जन संख्या 2011	क्षेत्रफल (है. में)		
1	बाड़मेर / बाटाडू	सिंगो डिया / हरखा ली	आदर्श नया बाटाडू	1082	638.0185	1082	633.1968	(-) 4.8217	--
			बाटाडू दक्षिण	150	185.0347	150	185.0509	(+) 0.0162	--
			नया बाटाडू	150	86.8301	150	91.6356	(+) 4.8085	--
2	बाड़मेर / धोरीमन्ना	खारी / खारी	मानसिंह की बेरी	838	1040.3060	838	1069.5243	(+) 29.2183	--
			मरूधर नगर	383	176.4911	353	147.2728	(-) 29.2183	--
3	बाड़मेर / नोखड़ा	मीठी बेरी / गोल्या	डूकियों की बेरी	211	48.1990	204	36.7545	(-) 11.4445	(-) 7
			सारणों व सेंवरों की ढाणी	251	120.0377	316	178.7917	(+) 58.7540	(+) 65

		जैतमा ल	बांकाणी सारणों की ढाणी	261	579.4118	203	532.102 3	(-) 47.309 5	(-) 58
4	बाड़मेर / शिव	भियाड / बुढात ला	नगसिंहपुरा	217	1258.6115	155	439.183 9	(-) 819.42 76	(-) 62
			अलसाणियों की ढाणी	266	645.6989	328	1465.12 65	(+) 819.42 76	(+) 62

उक्त अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत रकबों में संशोधन कर राजस्व ग्रामों के अभिलेखों के संधारण हेतु ग्रामों की पृथक-पृथक जमाबन्दी, खसरा नम्बर एवं नक्शे के परिशोधन कार्य निष्पादन हेतु जिला कलक्टर, बाड़मेर को अधिकृत किया जाता है। जिला कलक्टर उक्त ग्रामों के अभिलेखन कार्य निष्पादन की सूचना से राज्य सरकार को भी सूचित करेंगे।

हरि सिंह मीना,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।